FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

जी.सी.एम.एस.नं. ....

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

हिम्मती वगै० बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा प्रा०पत्र 128 LR Act नम्बर 280 वर्ष 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/7/2021	रिपोर्ट सरिश्ता पेश प्रा०पत्र धारा 128 LR Act पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा०पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 10/8/2021 को पेश हो। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
	10.08.21 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण बावजूद सम्मन तामील अनु०। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दि. 20.08.21 को पेश हो।	
20/8/21	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील ... प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों	

को दोहरान करते हुए कथन किया। बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 19.06.2021 का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि राजस्व ग्राम मोठूका स्थित वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि की पत्थरगढ़ी का अनुतोष चाहा है। अतः सह खातेदारान, पडौसी खातेदारान व प्रार्थी को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मोठूका स्थित भूमि खसरा नंबर 508, 393 की चर्तुसीमाओं की प्रार्थी, सहखातेदारान एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान 19.06.2021 पत्थरगढ़ी की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना